

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक-3/प.क./ 2017/58  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 23.01.2017

समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.  
समस्त प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, म.प्र.  
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.

विषय:- शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में ।  
संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5-2/2009/  
1-9 दिनांक 23 जुलाई 2014, दिनांक 28.04.2014 एवं 10 नवम्बर 2015.  
//00//


विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन करे, जिसके द्वारा शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन समय पर लिखे जाने, संधारित करने एवं प्रकटन के किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। इस संबंध में कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि इनके गोपनीय प्रतिवेदन समय पर नहीं लिखे जा रहे है, जिसकी वजह से उनके पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान के प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन शासन के संदर्भित दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में लिखे जाने, संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उन्हें संबंधित शासकीय सेवक द्वारा देखे जाने की मांग करने पर शासन के निर्धारित नियम/मापदंड अनुसार ही दिखाये जाने की व्यवस्था की जाये।

  
संचालक (परिवार कल्याण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 23.01.2017

पृ0 क्रमांक-3/प.क./ 2017/59  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप संचालक, कार्यालय स्थापना, स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र क्रमांक /4 / कार्या.स्था./सेल-1/2016/1955 दिनांक 21.12.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

  
संचालक (परिवार कल्याण)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश